

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उ०प्र०।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 06 जनवरी, 2022

विषय:- ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम्य विकास अधिकारी) की तैनाती क्लस्टर के अनुरूप किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश में कुल 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में सचिव का कार्यभार ग्राम पंचायत अधिकारी, जो पंचायतीराज विभाग के अधीन हैं तथा ग्राम्य विकास अधिकारी, जो ग्राम्य विकास विभाग के अधीन हैं, को दिया जाता है। ग्राम पंचायत अधिकारी के कुल 8,135 पद सृजित हैं तथा ग्राम्य विकास अधिकारी के कुल 8,286 पद सृजित हैं। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 16,421 होती है, इनमें कतिपय रिक्तियां हमेशा बनी रहती हैं।

2- वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत एक ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम्य विकास अधिकारी के पास औसतन 4 ग्राम पंचायतों का चार्ज/प्रभार होता है। शासन के संज्ञान में यह आया है कि एक ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम्य विकास अधिकारी को विकास खण्ड के अन्दर चार ऐसी पंचायतों में सचिव का प्रभार दिया जाता है जो एक क्लस्टर में न होकर विकास खण्ड के अलग-अलग क्लस्टरों में पड़ते हैं।

3- उपरोक्त व्यवस्था के कारण जहां एक ओर कार्य सम्पादित करने में प्रशासनिक कठिनाई उत्पन्न होती है, तो वहीं कार्य क्षेत्र के आवंटन में कोई समानता नहीं रहती है एवं कोई पारदर्शिता भी नहीं होती है। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पंचायतीराज निदेशालय द्वारा रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर (आर.ए.एस.ए.सी.), उत्तर प्रदेश, लखनऊ से क्लस्टर तैयार कराया गया। जो ग्राम पंचायतें भौतिक रूप से एक साथ हैं, उन्हें एक क्लस्टर में रखा गया है। प्रदेश के कुल 826 विकास खण्डों में अवस्थित 58,189 ग्राम पंचायतों को 15,720 क्लस्टर में रखा गया है। जनपदवार विकास खण्डों की संख्या एवं बनाए गए क्लस्टरों की सूची संलग्नक-1 पर है।

4- क्लस्टरों में जिला एल.जी.डी. कोड, विकास खण्ड कोड, क्लस्टर कोड, क्लस्टर का नाम, ग्राम पंचायत कोड, ग्राम पंचायत का नाम एवं ग्राम पंचायत के 2011 की जनसंख्या की सूचना के साथ रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर (आर.ए.एस.ए.सी.), उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा तैयार किया गया मैप भी मौजूद है। इसमें एक क्लस्टर के अन्तर्गत सम्मिलित ग्राम पंचायतों की औसतन आबादी 12,500 पड़ रही है। रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर (आर.ए.एस.ए.सी.), उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा तैयार किए गए क्लस्टर को पंचायतीराज विभाग के समस्त उप निदेशक(पं०) के द्वारा पुष्टि की गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एक ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम्य विकास अधिकारी को एक क्लस्टर के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्राम पंचायत के सचिव का प्रभार दिया जायेगा। यदि किसी ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम्य विकास अधिकारी को एक से अधिक क्लस्टर का चार्ज दिया जाता है तो अतिरिक्त क्लस्टर का चार्ज देते समय यह ध्यान में रखा जायेगा कि भौतिक रूप से साथ लगे क्लस्टर का चार्ज दिया जाय।

उपरोक्त क्लस्टर की सूचना पंचायतीराज विभाग की वेबसाइट [www.panchayatiraj.up.nic.in](http://www.panchayatiraj.up.nic.in) की लिंक पर उपलब्ध है।

**संलग्नक:-यथोक्त।**

भवदीय,

( मनोज कुमार सिंह )

अपर मुख्य सचिव।

**संख्या व दिनांक:-तदैव।**

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, 30प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0।
4. निदेशक, पंचायतीराज/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 30प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, 30प्र0।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) 30प्र0।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, 30प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अशोक कुमार राम )

अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम्य विकास अधिकारी) की तैनाती सम्बन्धी क्लस्टर  
(जनपद एवं विकासखण्ड वार)

क्र०सं०	जनपद	कुल विकास खण्ड	कुल ग्राम पंचायत	कुल क्लस्टर की संख्या
1	आगरा	15	690	264
2	अलीगढ़	12	867	253
3	अम्बेडकर नगर	9	902	204
4	अमेठी	13	682	223
5	अमरोहा	6	597	108
6	औरैया	7	477	147
7	अयोध्या	11	794	240
8	आजमगढ़	22	1858	392
9	बागपत	6	244	115
10	बहराइच	14	1045	277
11	बलिया	17	940	260
12	बलरामपुर	9	800	197
13	बाँदा	8	469	155
14	बाराबंकी	15	1161	268
15	बरेली	15	1193	294
16	बस्ती	14	1185	282
17	भदोही	6	546	130
18	बिजनौर	11	1123	258
19	शाहजहांपुर	15	1037	286
20	बुलंदशहर	16	946	267
21	चंदौली	9	734	206
22	चित्रकूट	5	331	91
23	देवरिया	16	1185	325
24	एटा	8	575	151
25	इटावा	8	471	136

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

26	फर्रुखाबाद	7	594	164
27	फतेहपुर	13	834	262
28	फिरोजाबाद	9	564	140
29	गौतमबुद्ध नगर	3	88	47
30	गाज़ियाबाद	4	161	65
31	गाजीपुर	16	1238	353
32	गोण्डा	16	1214	344
33	गोरखपुर	20	1294	273
34	हमीरपुर	7	330	108
35	हापुड़	4	273	93
36	हरदोई	19	1306	377
37	हाथरस	7	463	128
38	जालौन	9	574	185
39	जौनपुर	21	1740	430
40	झांसी	8	496	144
41	कन्नौज	8	499	158
42	कानपुर देहात	10	618	154
43	कानपुर नगर	10	590	194
44	कासगंज	7	423	147
45	कौशाम्बी	8	451	172
46	खीरी	15	1165	312
47	कुशीनगर	14	1003	276
48	ललितपुर	6	415	108
49	लखनऊ	8	494	195
50	महाराजगंज	12	882	220
51	महोबा	4	273	88
52	मैनपुरी	9	549	133
53	मथुरा	10	504	138
54	मऊ	9	671	162

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

55	मेरठ	12	479	204
56	मिर्जापुर	12	809	207
57	मुरादाबाद	8	643	146
58	मुजफ्फरनगर	9	498	183
59	पीलीभीत	7	720	149
60	प्रतापगढ़	17	1193	329
61	प्रयागराज	23	1540	413
62	रायबरेली	18	988	309
63	रामपुर	6	680	150
64	सहारनपुर	11	884	230
65	संभल	8	670	155
66	संतकबीर नगर	9	754	171
67	शाहजहांपुर	15	1069	289
68	शामली	5	230	92
69	श्रावस्ती	5	397	100
70	सिद्धार्थ नगर	14	1136	226
71	सीतापुर	19	1599	432
72	सोनभद्र	10	629	150
73	सुल्तानपुर	14	979	238
74	उन्नाव	16	1040	256
75	वाराणसी	8	694	192
	<b>महायोग</b>	<b>826</b>	<b>58189</b>	<b>15720</b>

(अशोक कुमार राम)

अनु सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।